

# कार्यालय कलेक्टर, आदिवासी विकास शाखा बालोद (छ.ग.)

फैक्सनं. 07749-223915, ई-मेल-actwd.balod@gmail.com

-- :: ज्ञापन :: --

क्र/309/आ.वि/ऑ.ला.पो.मे.छा./2026  
प्रति,

बालोद, दिनांक 18/06/2026

सहायक संचालक,  
जन संपर्क विभाग बालोद  
जिला-बालोद (छ.ग.)


विषय :- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग ऑनलाईन पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (कालेज स्तर) वर्ष 2026-27 की ऑनलाईन पंजीयन / स्वीकृति संबंधी प्रेस विज्ञापित जिले के प्रमुख समाचार पत्र में प्रकाशित करने बाबत ।

संदर्भ :- कार्यालय आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास रायपुर का पत्र क्र/स्टू/171/2026-स्कालरशिप सेक्शन नवा रायपुर दिनांक 15.06.2026

-- :: 00 :: --

उपरोक्त संदर्भित विषयांतर्गत लेख है, कि बालोद जिले के निवासी जो शासकीय/अशासकीय आई.टी.आई., महाविद्यालय, मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कालेज एवं पॉलीटेक्निक में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों एवं प्राचार्यों/संस्था प्रमुखों को शिक्षण सत्र 2026-27 में पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु ऑनलाईन पंजीयन/स्वीकृति की अंतिम तिथि की सूचना प्राप्त हो सके। इस हेतु जिला स्तरीय बहुप्रचारित दो समाचार पत्रों (जिनकी पहुंच ग्रामीण अंचलों तक हो) में लगातार तीन दिवस तक प्रकाशित करने का कष्ट करेंगे।

संलग्न :- विज्ञापित ।


  
सहायक आयुक्त,

आदिवासी विकास बालोद

बालोद, दिनांक 18/06/2026

पृ.क्र/309A/आ.वि/ऑ.ला.पो.मे.छा./2026  
प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति इन्द्रावती भवन नवा रायपुर अटल नगर को सादर सूचनार्थ ।
2. कलेक्टर, जिला बालोद को सादर सूचनार्थ ।
3. अग्रणी प्राचार्य शासकीय घनश्याम सिंह गुप्त बालोद, जिला बालोद को सूचनार्थ एवं अपने अधीनस्थ समस्त शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय को सूचित करने हेतु प्रेषित ।
4. प्राचार्य शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय/नर्सिंग कालेज/पॉलीटेक्निक कालेज /आई.टी.आई.....जिला बालोद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
5. प्राचार्य, शास. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था बालोद को सूचनार्थ एवं अपने अधीनस्थ समस्त शासकीय/अशासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था को सूचित करने हेतु प्रेषित ।

  
सहायक आयुक्त,

आदिवासी विकास बालोद

# कार्यालय कलेक्टर, आदिवासी विकास शाखा बालोद (छ.ग.)

फैक्स नं. 07749-223915, ई-मेल-actwd.balod@gmail.com

क्र / 309 / आ.वि / ऑ.ला.पो.मे.छा. / 2026

बालोद दिनांक .....18./06/2026

-:: सूचना प्रकाशन ::-

वर्ष 2026-27 में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए ऑनलाईन पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (कक्षा 12वीं से उच्चतर) हेतु ऑनलाईन पंजीयन की सूचना


छत्तीसगढ़ राज्य में संचालित समस्त शासकीय शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय, विश्वविद्यालयों, इंजीनियरिंग कालेज, मेडिकल कालेज, आई.टी.आई. एवं पॉलीटेक्निक कालेज आदि के प्राचार्य/संस्था प्रमुख, छात्रवृत्ति प्रभारी एवं उनमें अध्ययनरत अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों, जो विभाग द्वारा संचालित पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति वितरण की पात्रता रखते हैं, को सूचित किया जाता है कि शिक्षा सत्र 2026-27 हेतु ऑनलाईन पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (कक्षा 12वीं से उच्चतर) के पंजीयन, स्वीकृति एवं वितरण की कार्यवाही <http://postmatric-scholarship.cg.nic.in> वेबसाइट पर ऑनलाईन की जा रही है। जिसके अंतर्गत विभाग द्वारा ऑनलाईन आवेदन/प्रस्ताव/स्वीकृति वर्ष 2026-27 हेतु अंतिम तिथि निम्नानुसार निर्धारित की गई है:-

आवेदन का प्रकार	आवेदन प्राप्ति तिथि	संस्था स्तर पर कार्यवाही हेतु समय-सीमा	जिला स्तर पर कार्यवाही हेतु समय-सीमा	संभावित छात्रवृत्ति वितरण तिथि	रिमार्क
नवीनकरण	30 जून 2026 तक	1.अशासकीय संस्थाओं- प्राप्त आवेदनों का परीक्षण कर जिला कार्यालय को भेजना 07 दिवस	1.अशासकीय संस्थाओं के आवेदनों का परीक्षण एवं स्वीकृति उपरांत राज्य मुख्यालय को प्रेषित करने हेतु अधिकतम 08 दिवस	18 जुलाई 2026	आधार सीडेड बैंक खाते में भुगतान 07 कार्य दिवस में प्राप्त होगा।
	30 सितम्बर 2026 तक			18 अक्टूबर 2026	
	30 नवम्बर 2026 तक			18 दिसम्बर 2026	
	30 दिसम्बर 2026 तक			18 जनवरी 2027	
नवीन	30 अगस्त 2026 तक	2.शासकीय संस्थाओं- प्राप्त आवेदनों का परीक्षण स्वीकृत कर जिला कार्यालय को भेजना 10 दिवस अधिकतम	2.शासकीय संस्थाओं के आवेदनों का परीक्षण एवं स्वीकृति उपरांत राज्य मुख्यालय को प्रेषित करने हेतु अधिकतम 05 दिवस	18 सितम्बर 2026	
	30 सितम्बर 2026 तक			18 अक्टूबर 2026	
	30 नवम्बर 2026 तक			18 दिसम्बर 2026	
	30 दिसम्बर 2026 तक			18 जनवरी 2027	

वर्ष 2026-27 में विद्यार्थियों के छात्रवृत्ति आवेदन नवीनकरण के लिए 20 जून 2026 एवं नवीन आवेदन के लिए 01 अगस्त 2026 से छात्रवृत्ति पोर्टल प्रारंभ किये जायेंगे। प्राप्त नवीनीकरण एवं नवीन आवेदनों का परीक्षण एवं स्वीकृति संबंधी समस्त कार्यवाही समयावधि में वितरण तिथि के पूर्व स्वीकृतकर्ता अधिकारी द्वारा पूर्ण कर लिया जाए जिससे समक्ष प्राधिकारी द्वारा छात्रवृत्ति का सम्पूर्ण वितरण एवं भुगतान माह जनवरी 2027 तक पूर्ण किया जा सके।

1. छात्रवृत्ति हेतु निम्नानुसार पात्रता निर्धारित है:-

- क. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों के पालक की आय-सीमा रु. 2.50 लाख प्रतिवर्ष, अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु आय-सीमा 1.00 लाख प्रतिवर्ष, समक्ष अधिकारी द्वारा जारी स्थाई जाति प्रमाण पत्र, छ.ग. का मूल निवास प्रमाण पत्र, विद्यार्थी के अध्ययनरत पाठ्यक्रम के विगत वर्ष का परीक्षा परिणाम।
- PFMS के माध्यम से आधार सीडेड बैंक खाता पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति का भुगतान किया जा रहा है। अतः सभी विद्यार्थी ऑनलाईन आवेदन करते समय ध्यान रखें कि उनका बैंक खाता एक्टिव(सक्रिय) हो एवं आधार सीडेड बैंक खाता नंबर की प्रविष्टि ही करना सुनिश्चित करें।
- वर्ष 2025-26 में अनु.जानजाति एवं अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को NSP Portal से OTR(One time Registration) प्राप्त करना आवश्यक है। इस हेतु राज्य छात्रवृत्ति पोर्टल में प्रदाय निर्देशों का अवलोकन किया जा सकता है।

  
सहायक आयुक्त,  
आदिवासी विकास बालोद